संख्या-13/2015/640/49-1-2015-08(135)/12

प्रेषक,

शैलेश कृष्ण,
प्रमुख सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

आयुक्त एवं निबन्धक,
सहकारिता, उ0प्र0,
लखनऊ।

सहकारिता अनुभाग-1 लखनऊ दिनांक 27 मई, 2015

विषय- कृषि भूमि को बंधक रखकर कर्ज लेने वाले कृषकों के कर्ज की अदायगी न कर पाने की स्थिति में जमीन को नीलाम किये जाने की व्यवस्था को समाप्त करने हेतु ऐसे कृषकों की कर्ज माफी के संबंध में ऋण माफी योजना की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कृपया आपके पत्रांक-14/लेखा-अ दिनांक 08 अप्रैल, 2015 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृषि भूमि को बंधक रखकर कर्ज लेने वाले कृषकों के कर्ज की अदायगी न कर पाने की स्थिति में जमीन को नीलाम किये जाने की व्यवस्था को समाप्त करके ऐसे कृषकों की कर्ज माफी किये जाने हेतु "ऋण राहत" के रूप में वित्तीय वर्ष 2015-16 के आय-व्ययक में प्राविधानित धनराशि रू0 9,00,00,000 (रू0 नौ करोड. मात्र) की वित्तीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष प्रदान करते है:-

(1) उपर्युक्त ऋण राहत योजना के संबंध में शासनादेश संख्या-1786/49-1-2012-08(135)/12 दिनांक 12-12-2012 एवं 728/49-1-13-08(135)/12 दिनांक 22 अप्रैल, 2013 के माध्यम से निर्गत दिशा-निर्देशों का अक्षरश: अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(2) उपर्युक्त प्रस्तर-1 के क्रम में आयुक्त एवं निबन्धक, सहकारिता विभाग, लखनऊ पूर्व से नामित सहकारी समितियॉ एवं पंचायतें लेखा परीक्षा विभाग से शीघ्र आडिट करायेगें।

(3) वित्त विभाग के पत्र संख्या-यू0ओ0-ई-2-189/दस-2013 दिनांक 07 मार्च, 2013 एवं पत्र संख्या-2257/49-1-15-08(135)/12 दिनांक 19 फरवरी, 2014 के माध्यम से दिये गये परामर्श का सम्यक अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

(4) जनपद वार आडिट प्रगति रिपोर्ट प्राप्त करते हुये संकलित रिपोर्ट शासन को तत्काल उपलब्ध करायी जायेगी तथा रिपोर्ट में यदि किसी प्रकार की अनियमितता परिलक्षित होती है तो ऋण माफी की स्वीकृति धनराशि से ही उसका समाधान प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 सहकारी ग्राम विकास बैंक लि0, लखनऊ के स्तर पर किया जाना होगा। इस हेतु कोई अतिरिक्त धनराशि राज्य सरकार द्वारा देय न होगी।

(5) स्वीकृत की जा रही धनराशि का उपयोग इसी वित्तीय वर्ष में सुनिश्चित किया जाये।

-2/-

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(6) उक्त स्वीकृत धनराशि का विस्तृत लेखा-जोखा कार्यालय निबन्धक, सहकारी समितियॉ, उ0प्र0, लखनऊ द्वारा रखा जायेगा एवं इसका उपयोगिता प्रमाण-पत्र शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

(7) प्रश्नगत स्वीकृत धनराशि का आहरण आवश्यकतानुसार किया जायेगा। धनराशि आहरित कर किसी भी दशा में डाकघर/बैंक/पी0एल0ए0 में नही रखी जायेगी।

(8) प्रश्नगत योजनान्तर्गत भविष्य में अब कोई भी धनराशि देय नहीं होगी एवं प्रश्नगत योजना समाप्त समझी जायेगी।

2- उपरोक्त धनराशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 के आय-व्ययक की अनुदान संख्या-18 के अन्तर्गत लेखा शीर्षक "2425-सहकारिता-आयोजनेत्तर-800-अन्य व्यय-10-किसानों के लिये कृषि ऋण राहत योजना-20-सहायता अनुदान-सामान्य(गैर वेतन)" के नामे डाला जायेगा।

3- उपरोक्त वित्तीय स्वीकृति के संबंध में वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-2/2015/बी-1-925/दस-2015-213/2015 दिनांक 30-03-2015 में उल्लिखित संगत निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

4- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय पत्र संख्या-ई-2-449/दस-2015 दिनांक 25 मई, 2015 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे है।

भवदीय,

(शैलेश कृष्ण)
प्रमुख सचिव।

संख्या-13/2015/640(1)/49-1-2015 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद।
2- महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद।
3- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
4- मुख्य लेखा परीक्षाधिकारी, सहकारी समितियॉ एवं पंचायतें, उ0प्र0, लखनऊ।
5- मुख्य महाप्रबन्धक, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक, 11-विपिन खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
6- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1
7- वित्त (व्यय-नियंत्रक) अनुभाग-2
8- सहकारिता अनुभाग-3
9- प्रबन्ध निदेशक,उ0प्र0 सहकारी ग्राम विकास बैंक लि0, लखनऊ।
10- वित्त नियंतत्रक, कार्यालय निबन्धक, सहकारी समितियॉ, उ0प्र0, लखनऊ।

आज्ञा से,

(महेश कुमार)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in